



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238636
CG-DL-E-07092022-238636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3984]
No. 3984]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

का. आ. 4165(अ).—केंद्रीय सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य स्थापनाओं को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ.), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा अधिसूचित किया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), में तारीख 19 मार्च, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) को प्रकाशित हुई थी;

और, केंद्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अधिसूचना सं. 3600 (अ.), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रति वर्ष 1,00,000 मीट्रिक टन और उससे अधिक तेल समतुल्य की ऊर्जा खपत वाली पेट्रोरसायन इकाइयों (गैस क्रैकर, नेफ्था क्रैकर या दोनों) को शामिल करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन किया था।

और, केंद्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत करने वाली पेट्रोरसायन निर्माण इकाइयों को शामिल करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश में और निम्नलिखित संशोधन करती है तथा निम्नलिखित ऊर्जा गहन उद्योग और अन्य स्थापनाओं को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में, उप-पैरा (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(14) पेट्रोसायन निर्माण इकाइयाँ, जिनकी निम्नलिखित उत्पादों के लिए न्यूनतम वार्षिक ऊर्जा खपत नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	उत्पाद निर्माण इकाइयाँ	कुल प्रारंभिक ऊर्जा खपत मीट्रिक टन तेल समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक में।
1	फाइबर इंटरमीडिएट	50,000
2	पॉलिमर	10,000
3	डिटर्जेंट मध्यवर्ती	9,000
4	निष्पादन प्लास्टिक	3,000
5	अन्य पेट्रोसायन उत्पाद	6,000
6	सिंथेटिक रबड़	15,000
7	सुगंधित पदार्थ	20,000

[फा. सं. 10/3/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्यांक का.आ. 394(अ), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3600(अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2022

S. O. 4165(E).—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency has, in exercise of the powers conferred by clauses (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), notified the energy intensive industries and other establishments as designated consumers *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 (hereinafter referred to as said order);

And Whereas, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, amended the said order to include Petrochemical units (Gas cracker, Naphtha cracker or both) having energy consumption of 1,00,000 metric tonne of oil equivalent per year and above, *vide* notification no., 3600 (E) dated the 15th November 2017.

And Whereas, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has decided to amend the said order to include Petrochemical manufacturing units having specified energy consumption as designated consumers for the purposes of said Act

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said order and specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:—

In the said order, after sub-paragraph (13), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(14). Petrochemical manufacturing units having minimum yearly energy consumption for following products as per the table given below:-

S. No.	Product Manufacturing units.	Total Threshold Energy consumption in Metric Tonne of Oil Equivalent (MTOE) per year and above.
1	Fibre Intermediates	50,000
2	Polymers	10,000
3	Detergent Intermediates	9,000
4	Performance Plastics	3,000

5	Other Petrochemical products	6,000
6	Synthetic Rubbers	15,000
7	Aromatics	20,000

”.

[F. No. 10/3/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number, S.O. 394(E), dated the 12th March 2007 and was last amended vide notification number, S.O. 3600 (E) dated the 15th November, 2017.